संख्या-99/2021/530रासनि/23-1-21-102रासनि/20

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 41 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1775/(54-c)समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 10.03.2021, पत्र सं0-1780/(54-v)समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 10.03.2021 तथा पत्र सं0-178/(54-c)समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 08.01.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक के विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 41 मार्गों के कार्य हेतु लागत रू0 37,95,44,000/- (रूपये सैतीस करोड़ पचानबे लाख चौव्वालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 1,89,80,000/- (रूपये एक करोड़ नवासी लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.20 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव ।

संख्या- /2021/ रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-99/2021/530रासनि/23-1-21-102रासनि/20, दिनांक 22.03.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4		
1	प्रयागराज	नौढ़िया उपरहार मेन रोड से दिलीप सिंह के घर तक मार्ग पर निर्माण कार्य।	1.00	109.96	5.50
2	प्रयागराज	नेवढ़िया सम्पर्क मार्ग से करिया खुर्द होते हुये नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग।	5.00	222.62	11.13
3	प्रयागराज	शाहपुर (सॉवडीह) पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.55	28.08	1.40
4	प्रयागराज	शाहपुर (सॉवडीह) पूरे ललाइन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.70	35.53	1.78
5	प्रयागराज	शाहपुर (सॉवडीह) लोहारन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.60	30.52	1.53
6	प्रयागराज	शाहपुर (सॉवडीह) छेदी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.50	25.63	1.28
7	प्रयागराज	जगुआसोधा शुक्लान बस्ती होते हुये जबराडीह सम्पर्क मार्ग।	2.00	101.08	5.05
8	प्रयागराज	असवा दाउदपुर रहिमाबाद बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.00	50.31	2.52
9	प्रयागराज	बरौत टेला मार्ग हरिजन बस्ती होते हुये गनुआ ब्राम्हण बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.00	101.79	5.09
10	प्रयागराज	पूरे गोबई हरिजन बस्ती होते हुये छीड़ी तक सम्पर्क मार्ग।	1.00	50.37	2.52
11	प्रयागराज	झिरिहरी भुजवान बस्ती से अहिरान केवटान बस्ती होते हुये जोगापुर बार्डर तक सम्पर्क मार्ग।	1.75	88.56	4.43
12	प्रयागराज	अरई पिच मार्ग से मन्दर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	0.80	40.92	2.05
13	प्रयागराज	घाटमपुर पिच मार्ग से ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.00	51.51	2.58
14	प्रयागराज	ग्राम जबराडीह नाहरपुर पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.20	56.90	2.85
15	प्रयागराज	एन0एच0–2 उपरदहा से रिदापुर (अहिरान बस्ती) रेलवे क्रासिंग सम्पर्क मार्ग।	1.00	50.37	2.52
16	प्रयागराज	ग्राम उपरदहा से चकमदा चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.50	75.79	3.79
17	प्रयागराज	शारदा सहायक नहर से रामलीला मैदान सींकी खुर्द यादव बस्ती सं0मार्ग	2.00	101.08	5.05
18	प्रयागराज	मुगरॉव हरिजन बस्ती मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	98.15	4.91
19	कौशाम्बी	जी0टी0 रोड से विद्यालय होते हुये कसिया मार्ग तक निर्माण कार्य (छूटी कडी)	0.55	90.64	4.53
20	शाहजहांपुर	ग्राम बाजपुर से ग्राम आलमपुर तक सम्पर्क मार्ग (छूटी कड़ी)	1.20	75.99	3.80
21	शाहजहांपुर	ग्राम गोरा रायपुर से सरैय्या तक सम्पर्क मार्ग।(छूटी कड़ी)	1.75	107.76	5.39
22	शाहजहांपुर	मलिखान नगरिया (छूटी कड़ी) सम्पर्क मार्ग।	1.05	81.84	4.09
23	पीलीभीत	ग्राम जादोपुर पट्टी से गांव पैनिया हिम्मत तक सम्पर्क मार्ग।	1.50	110.93	5.55
24	पीलीभीत	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–730(के) पर गांव अकबरगंज सिमरा से गांव ढकिया महक तक सम्पर्क मार्ग।	1.20	82.66	4.13
25	पीलीभीत	गांव सिमरौली से ग्राम कस्टुआ के मजरा भूड़ा तक सम्पर्क मार्ग	1.25	70.90	3.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4		
26	पीलीभीत	ग्राम अमृताखास से गांव बैरा तक सम्पर्क मार्ग।	1.60	86.27	4.31
27	बस्ती	गोपीनाथपुर प्रधानमंत्री मार्ग से नव्या भारत गैस एजेन्सी होते हुये करमीपट्टी तक सम्पर्क मार्ग।	0.50	29.60	1.48
28	प्रतापगढ़	महादेव प्रसाद इण्टरमीडिएट कालेज, महादेव नगर, प्रतापगढ़ सं0मार्ग।	0.40	35.05	1.75
29	लखनऊ	अटल अवासीय विद्यालय सिठौली कला के पहुँच मार्ग।	2.25	260.80	13.04
30	प्रयागराज	पिच रोड से कुटनी का पूरा प्राथमिक विद्यालय होते हुये दानपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग।	0.550	29.65	1.48
31	प्रयागराज	पिच मार्ग से सेमरी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.000	52.21	2.61
32	प्रयागराज	बीरापुर कसौधन अहिरान मार्ग का निर्माण कार्य।	1.200	60.93	3.05
33	प्रयागराज	डिघरी अहिरान सम्पर्क मार्ग।	1.500	74.50	3.73
34	प्रयागराज	लमाही बभनौटी मार्ग का निर्माण कार्य।	1.000	52.65	2.63
35	संतकबीर नगर	सरफरा से बाड़ो मेंहावर बौधरा बाबा सम्पर्क मार्ग	2.60	227.37	11.37
36	संतकबीर नगर	मुहियापुल घूरापाली किमी0–2 से मुडली सम्पर्क मार्ग	2.50	226.97	11.35
37	संतकबीर नगर	मुडली से भरथुआ मार्ग का नवनिर्माण	4.50	389.59	19.48
38	शाहजहांपुर	बरूआरा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	0.90	72.54	3.63
39	बरेली	पीतमपुर सम्पर्क मार्ग	0.70	39.47	1.97
40	बरेली	गौटिया ढकिया बरकली साहब (नहर पटरी) मार्ग का निर्माण कार्य	1.85	91.83	4.59
41	बरेली	समुहा से बाकरगंज होते हुये भानपुर तक सम्पर्क मार्ग	2.70	126.12	6.31
		योग		**3795.44**	**189.80**

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।